



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)
ग्रामीण निर्माण विभाग,
तपोवन मार्ग, रायपुर रोड, उत्तराखण्ड देहरादून।
E-mail- hod.res.uk@gmail.com, Ph. No. 2780290 Website www.res.uk.gov.in



पत्रांक 490 / ग्रा0नि0वि / सहा0अभि0(सिविल) / स्थानान्तरण / 2024-25

दिनांक 10 जून, 2024।

(स्थानान्तरण आदेश)

लोक सेवकों के लिये उत्तराखण्ड स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्रावधानों एवं शासनादेश संख्या-120990/2023/XXX(2)E-33080 दिनांक 10.05.2023, शासनादेश संख्या-120994/2023/XXX(2)E-33080 दिनांक 10.05.2023 एवं शासनादेश संख्या-198739/2023/XXX(2)E-33080 दिनांक 14.03.2024 के तहत स्थानान्तरण निर्धारित की गयी अधिकतम सीमा के अन्तर्गत विभागीय स्थानान्तरण समिति द्वारा संस्तुति के आधार पर विभाग में कार्यरत निम्नलिखित सहायक अभियन्ता (सिविल) का स्थानान्तरण उनके नाम के सम्मुख अंकित विवरण के अनुसार किया जाता है।

क्र० सं०	सहायक अभियन्ता (सिविल) का नाम	वर्तमान तैनाती स्थल	नव तैनाती स्थल	अन्य विवरण
1	श्री निशान्त कुमार	प्रखण्ड टिहरी	प्रखण्ड धनसाली	अधिनियम की धारा-17-1-(क) के अन्तर्गत
2	श्री शेषराज	प्रखण्ड धनसाली	कार्यालय मुख्य अभियन्ता (स्तर-1), देहरादून	स्थानान्तरण अधिनियम-2017 की धारा-17-1 (ख) (एक) के अन्तर्गत
3	श्री सुशील कुमार	परिमण्डल पोड़ी (प्रखण्ड रुद्रप्रयाग में सम्वद्ध)	प्रखण्ड रुद्रप्रयाग	स्थानान्तरण अधिनियम-2017 की धारा-17-1 (ख) (छ) के अन्तर्गत
4	श्री अरुण कुमार गुसाई	कार्यालय मुख्य अभियन्ता (स्तर-1), देहरादून	प्रखण्ड रुद्रप्रयाग	स्थानान्तरण अधिनियम-2017 की धारा-17-1 (ख) (सात) के अन्तर्गत
5	श्री देवेन्द्र कुमार कोठारी	प्रखण्ड भिकियासैण	प्रखण्ड नैनीताल	स्थानान्तरण अधिनियम-2017 की धारा-17-1 (ग) के अन्तर्गत
6	श्री महिपाल सिंह बोरा	प्रखण्ड डीडोहाट	प्रखण्ड भिकियासैण	स्थानान्तरण अधिनियम-2017 की धारा-17-1 (ख) (छ) के अन्तर्गत

- 1- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 23 (11 एवं 12) के अनुसार उपरोक्त स्थानान्तरित सहायक अभियन्ता (सिविल) निर्धारित अवधि के अन्दर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे। कार्यभार ग्रहण अवधि (ज्वाइनिंग टाइम) का उपयोग नव तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही किया जा सकेगा। वर्तमान तैनाती से कार्यमुक्त उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि का ही उपयोग कर सकेंगे। उक्त धारा के क्रम में स्थानान्तरित कार्मिकों के कार्यमुक्त होने की अन्तिम तिथि 17.06.2024 तथा स्थानान्तरित कार्मिकों के कार्यभार ग्रहण करने की तिथि 20.06.2024 होगी।
- 2- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 22(2) के क्रम में स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- 3- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 22(3) के क्रम में नव तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- 4- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 22(4) के क्रम में यदि उक्त स्थानान्तरण आदेश में किसी प्रकार की सारगर्भित/टंकण त्रुटि हो तो आदेश निर्गत होने के तीन दिन के अन्दर उच्चाधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा।
- 5- धारा-25 के अन्तर्गत पटल के महत्वपूर्ण प्रकरण/विकास कार्यक्रमों आदि के सम्बन्ध में कार्यभार टिप्पणी बनाया जाना आवश्यक होगा।
- 6- शासनादेश संख्या-198739/2023/XXX (2)E-33080 दिनांक 14.03.2024 के अनुसार क्रमांक 2, 3 एवं 4 पर अंकित कार्मिकों का स्वयं के अनुरोध पर स्थानान्तरण होने के फलस्वरूप यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
- 7- स्थानान्तरित कार्मिकों को गृह तहसील/उपखण्ड में तैनात नहीं किया जायेगा।

मुख्य अभियन्ता (स्तर-1),
ग्रामीण निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

निर्देश


10/06/24


09/2




पत्रांक एवं दिनांक उपरोक्तानुसार
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- अपर सचिव, ग्रामीण निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
- 2- मुख्य अभियन्ता (स्तर-2), ग्रामीण निर्माण विभाग, भीमताल (नैनीताल)।
- 3- समस्त अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
- 4- अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, टिहरी, घनशाली, कोटद्वार, रूद्रप्रयाग, नैनीताल, भिकियासैण, एवं डीडीहाट।
- 5- जिलाधिकारी टिहरी, पौड़ी, रूद्रप्रयाग, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़।
- 6- मुख्य विकास अधिकारी, टिहरी, पौड़ी, रूद्रप्रयाग, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़।
- 7- मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, टिहरी, घनशाली, कोटद्वार, रूद्रप्रयाग, नैनीताल, भिकियासैण, नैनीताल एवं डीडीहाट।
- 8- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
- 9- वित्त अधिकारी, केन्द्रीयकृत भुगतान एवं लेखा कार्यालय (साईबर ट्रेजरी), देहरादून।
- 10- महालेखाकार उत्तराखण्ड देहरादून।
- 11- व्यक्तिगत पत्रावली/कार्यालय आदेश पत्र बन्ध।
- 12- विभागीय वैबसाइट/अपलोड किये जाने हेतु।


मुख्य अभियन्ता (स्तर-1),
ग्रामीण निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।


10/06/21


10/06/21

9/2



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)
ग्रामीण निर्माण विभाग,
तपोवन मार्ग, रायपुर रोड, उत्तराखण्ड देहरादून।
E-mail- hod.res.uk@gmailcom, Ph. No. 2780290 Website www.res.uk.gov.in



पत्रांक 491 / ग्रा0नि0वि / सहा0अभि0(वि0 / यां0) / स्थानान्तरण / 2024-25

दिनांक 10 जून, 2024।

(स्थानान्तरण आदेश)

लोक सेवकों के लिये उत्तराखण्ड स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों एवं शासनादेश संख्या-120990/2023/XXX(2)E-33080 दिनांक 10.05.2023, शासनादेश संख्या-120994/2023/XXX(2)E-33080 दिनांक 10.05.2023 एवं शासनादेश संख्या-198739/2023/XXX(2)E-33080 दिनांक 14.03.2024 के तहत स्थानान्तरण निर्धारित की गयी अधिकतम सीमा के अन्तर्गत विभागीय स्थानान्तरण समिति द्वारा संस्तुति के आधार पर विभाग में कार्यरत निम्नलिखित सहायक अभियन्ता (वि0/यां0) का स्थानान्तरण उनके नाम के सम्मुख अंकित विवरण के अनुसार किया जाता है।

क्र0सं0	सहायक अभियन्ता (वि0/यां0)का नाम	वर्तमान तैनाती स्थल	नव तैनाती स्थल	अन्य विवरण
1	श्री विनय कुमार गौतम	परिमण्डल देहरादून	परिमण्डल पौड़ी	धारा-17-1-(क) के अन्तर्गत
2	श्री शमशाद अहमद अंसारी प्रभारी सहायक अभि0	अधि0 अभि0 वि0/यां0 कार्यालय, देहरादून	परिमण्डल पिथौरागढ़	धारा-17-1-(क) के अन्तर्गत
3	श्री प्रवेश कुमार	परिमण्डल पौड़ी	अधि0 अभि0 वि0/यां0 कार्यालय, देहरादून	धारा-17-1-(ग) के अन्तर्गत
4	श्री राजेन्द्र प्रसाद सती	परिमण्डल पिथौरागढ़	परिमण्डल देहरादून	धारा-17-1-(ग) के अन्तर्गत

- 1- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 23 (11) एवं (12) के अनुसार उपरोक्त स्थानान्तरित सहायक अभियन्ता (वि0/यां0) निर्धारित अवधि के अन्दर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे। कार्यभार ग्रहण अवधि (ज्वाइनिंग टाइम) का उपभोग नव तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही किया जा सकेगा। वर्तमान तैनाती से कार्यमुक्त उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि का ही उपयोग कर सकेंगे। उक्त धारा के क्रम में स्थानान्तरित कार्मिकों के कार्यमुक्त होने की अन्तिम तिथि 17.06.2024 तथा स्थानान्तरित कार्मिकों के कार्यभार ग्रहण करने की तिथि 20.06.2024 होगी।
- 2- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 22(2) के क्रम में स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- 3- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 22(3) के क्रम में नव तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- 4- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 22(4) के क्रम में यदि उक्त स्थानान्तरण आदेश में किसी प्रकार की सारगर्भित/टंकण त्रुटि हो तो आदेश निर्गत होने के तीन दिन के अन्दर उच्चाधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा।
- 5- धारा-25 के अन्तर्गत पटल के महत्वपूर्ण प्रकरण/विकास कार्यकर्मों आदि के सम्बन्ध में कार्यभार टिप्पणी बनाया जाना आवश्यक होगा।
- 6- स्थानान्तरित कार्मिकों को गृह तहसील/उपखण्ड में तैनात नहीं किया जायेगा।

मुख्य अभियन्ता (स्तर-1),
ग्रामीण निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

10/6/24

9/6

10/06/24



पत्रांक एवं दिनांक उपरोक्तानुसार

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- अपर सचिव, ग्रामीण निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
- 2- मुख्य अभियन्ता (स्तर-2), ग्रामीण निर्माण विभाग, नैनीताल (स्थित भीमातल)।
- 3- समस्त अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
- 4- अधिशासी अभियन्ता (वि0/यॉ0), ग्रामीण निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।
- 5- समस्त अधिशासी अभियन्ता (सिविल), ग्रामीण निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।
- 6- जिलाधिकारी पौड़ी/देहरादून/पिथौरागढ़।
- 7- मुख्य विकास अधिकारी पौड़ी/देहरादून/पिथौरागढ़।
- 8- मुख्य कोषाधिकारी अधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, पौड़ी/देहरादून/पिथौरागढ़।
- 9- सम्बन्धित कार्मिक, द्वारा अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, परिमण्डल पौड़ी/देहरादून/पिथौरागढ़ एवं अधि0अभि0(वि0यॉ0) उत्तराखण्ड देहरादून।
- 10- महालेखाकार उत्तराखण्ड देहरादून।
- 11- व्यक्तिगत पत्रावली/कार्यालय आदेश पत्र बन्ध।
- 12- विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

मुख्य अभियन्ता (स्तर-1),
ग्रामीण निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

Syl
10/06/24
07/2
10/06/24